

अनुगत प्रमाण पर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सदस्य के हस्ताक्षर पर जारी किया जाना है।

अनुभव प्रमाण पत्र

(याम प्रधात/सर्पय का नाम),
 नाम प्रधान/सर्पय, शात संघायत
 उ.स.
 प्रमाणित करता/करती हैं कि श्री श्रीमती
 (उन्नीसवार नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
 (पिता/माता का नाम), निवासी
 (ग्राम संघायत का नाम), जिसका
 (आधार संख्या) है, मैं हमारी
 आधार संख्या
 नाम संघायत
 और रखरखाव में न्यूनाताम 2 वर्षों तक कोष दिया है।
 १२७२७८८७/२७
 २७२७८८७/२७

मैं बनामिना भगवतामरुती है कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियों में जान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मैं ऐसा उल्लंघन करायें तो उपरोक्त सत्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये जाते हैं तब सत्यम् में विधि एवं नियमों के अधीन भरे विरूप की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक: 27/5/2026

हस्ताक्षर और मुहर के
साथ प्रधानाध्यापक का नाम
(याम पंचायत)